(286)

III/ निग०/रीवा/ भू रा०/2018/02282

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

आभमन्यु प्रसाद शुक्ला तनय स्व0 श्री तारा प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम पुरवा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 .... निगरानीकर्ता

बनाम

1- देवदीन तनय शोभनाथ गुप्ता

2- रामपाल गुप्ता तनय श्री बुद्धि गुप्ता

दोनो निवासी ग्राम पुरवा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

.... गैर निगरानी कर्ता गण

प्रावेदक अभिमन्यु प्रसाद द्वारा पेश/ 09-4-18

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 27-2-18 अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 155/ निग./ अ-12/2011-12 मे पारित किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू. राजस्व संहिता ।

महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

निगरानी कर्ता द्वारा तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा के यहा इस आशय का आवेदन धारा 129 म0प्र0 भू. राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम पुरवा तहसील गुढ़ जिला रीवा स्थित भूमि नम्बर 313/1 रकवा 0.935 है0 के 1/2 भाग का निगरानीकर्ता व उसके भाई शशिभूषण भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है, निगरानीकर्ता द्वारा भूमि खसरा क्र0 313/1 रकवा 0.935 है0 स्थित ग्राम पुरवा तहसील गुढ़ जिला रीवा की भूमि का सीमांकन कराए जाने हेतु तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 के यहा आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे तहसील गुढ़ द्वारा अपने मातहत

(286)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला रीवा

प्रकरण क्रमांक. II / निग0 / ~~सीधी~~ रीवा / 2018 / 02282

अभिमन्यु प्रसाद शुक्ला / देवीदीन गुप्ता

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री अशीश कुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 165 / निगरानी / अ–12 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27.02.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	